राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय ::-

पूनाराम व अन्य : बनाम : मुर्तजा वगै.

एकल पीठ सिविल विविध अपील संख्या: **237/2001**
अन्तर्गत धारा **173** मोटर यान अधिनियम, **1988**

* * * * *

निर्णय दिनांक : **02** अगस्त , **2007**

-: उपस्थित:-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्णकुमार आचार्य

अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री एम.ए.सिद्दीकी एवं
श्री एस.के.सांखला,
रेस्पोंडेण्ट् के अधिवक्ता श्री अनिल बच्छावत।

* * * * *

न्यायालय द्वारा :

यह अपील प्रार्थीगण-अपीलाण्टान के द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मेड़ता के द्वारा पारित निर्णय एवं अवार्ड दिनांक 20.9.2000 की नाराजगी में प्रस्तुत की गई है और अधीनस्थ अधिकरण द्वारा जो 6,50,000/- रूपए का क्लेम पारित किया गया, यह राशि कम होने से उसे बढ़ाकर 1,87,43,000/- का क्लेम पारित करने की इस्तदुआ की गई है।

इस अपील में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकर्ड का अवलोकन किया व विचार किया।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का इस प्रकरण में मुख्य तर्क यही रहा

कि अधीनस्थ अधिकरण ने मात्र 1,00,000/- रूपए ही वार्षिक आय पाई जिसमें से 70,000/- रूपए वह अपने व अपनी पत्नी पर खर्च करता और 30,000/- रूपए की वार्षिक नुकसानी प्रार्थीगण की होना पाई। माता-पिता की उम्र को देखते हुए 20 साल तक वे जिन्दा रहते, मानते हुए मात्र 6,00,000/- रूपए ही नुकसानी दिलाई गई है, जो न्यायोचित नहीं है। इसके अलावा अन्य राशियां भी जो दिलाई गई हैं वे अत्यधिक कम हैं, जिसे बढ़ाया जाना न्यायोचित है।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट्स का तर्क रहा कि इस प्रकरण में साक्ष्य के अवलोकन के बाद अधीनस्थ अधिकरण ने सभी तथ्यों पर उचित तरह से विचार किया। 30,000/- रूपए मासिक आय सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। आय से सम्बन्धित कागजात पेश किए गए थे, मगर वे प्रमाणित नहीं कराए। मृतक राजेन्द्र कुमार ग्रेनाइट पॉलिस की फेक्ट्री चलाता था तथा मृत्यु के समय उसकी आयु 21 वर्ष 3 माह पाई है। उसकी पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया और वह अधीनस्थ अधिकरण में उपस्थित भी नहीं आई न जवाब पेश किया। फेक्ट्री से होने वाली आय के बारे में कोई उपयुक्त सबूत भी अधीनस्थ अधिकरण ने प्रमाणित नहीं पाए। उसके पिता ने 30,000/- रूपए की मासिक आय होना बताई, मगर जिरह में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि फेक्ट्री अब 10,000/- रूपए मासिक नुकसान में चल रही है, उसकी देख रेख के लिए आदमी रख रखे हैं और 10,000/- रूपए मासिक देने पड़ते हैं। इस प्रकार फेक्ट्री 10,000/- रूपए के नुकसान पर अभी भी चल रही है, स्पष्ट रूप से बताया है। अत: 30,000/- रूपए की मासिक आय ए.ड.1 पूनाराम ने बताई वह पूर्ण आय समाप्त भी

नहीं हुई और 10,000/- रूपए मासिक नुकसान में चलना स्पष्ट रूप से उसके द्वारा बताया गया। अधीनस्थ अधिकरण ने सभी बातों पर विचार करने के बाद 1,00,000/- रूपए की वार्षिक आय मानी, जिसमे से कम से कम 70,000/- रूपए वह अपने व अपनी पत्नी पर खर्च करता और 30,000/- रूपए की नुकसानी प्रार्थीगण के होना पाया है और उनकी उम्र को देखते हुए 6,00,000/- रूपए दिलाए हैं, जो न्यायोचित हैं और इसे बढ़ाने के कोई आधार नहीं हैं। 50,000/- रूपए की राशि पुत्र के स्नेह, सेवा सुश्रा के मद में दिला दी गई है, जिसे भी बढ़ाने के कोई आधार नहीं है। अत: अपील खारिज करने की इस्तदुआ की।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया एवं अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय एवं रेकर्ड पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया।

ए.ड.1 पूनाराम, जिसका कि मृतक राजेन्द्र कुमार पुत्र था, उसका कथन है कि उसका पुत्र मोटर साईकिल से फेक्ट्री गया और वापस आते समय कम्तगी गांव के पास बस सं. के.ए. 25 एफ 1011 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से बस चलाकर दुर्घटना कारित की जिससे उसके पुत्र के गम्भीर चोटें आई और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मोटर साईकिल भी नष्ट हो गई। यह घटना बस चालक की गलती से हुई है। उसका लड़का दुर्घटना के समय 21 वर्ष 3 माह का था, जो दुर्घटना के पूर्व इलकल में ग्रेनाइट पत्थर कटिंग पॉलिसी की फेक्ट्री चलाता था जो वर्ष 1997 से चला रहा था और 30,000/- रूपए मासिक कमाता और वह आयकर भी भरता था। उसकी कमाई से 1,58,40,000/- रूपए का उसे नुकसान हुआ। फेक्ट्री में प्रगति के करीब 10,000/- रूपए, लड़के की लाश अस्पताल से फेक्ट्री लाने के

करीब 3,000/- रूपए, सोने की चैन, कपड़े, मोटर साइकिल आदि की क्षति के 65,000/- रूपए तथा उसके अन्तिम संस्कार व अस्थि विसर्जन में 35,000/- रूपए, दर्द, कष्ट व मानसिक वेदना के 5,00,000/- रूपए और दाम्पत्य क्षति के 10,00,000/- रूपए, माता पिता को आदर सम्मान के करीब 3,00,000/- रूपए की क्षति हुई। कुल 1,87,43,000/- रूपए की क्षति हुई है, जिसका क्लेम पेश किया गया। वह और उसकी पत्नी दोनों अपने लड़के की कताई पर आश्रित थे। उसके लड़के की पत्नी संतोष नाते चली गई है। फेक्ट्री अभी भी चल रही है, जो 10,000/- रूपए मासिक नुकसान पर चल रही है। इस हेतु आदमी रखे गए हैं और उन्हें 10,000/- रूपए मासिक वेतन देना पड़ता है।

उपरोक्त गवाह के बयान एक तरफा हुए हैं। आय के सम्बन्ध में उपरोक्त साक्ष्य के अलावा अन्य कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित होना नहीं पाई जाती। हालांकि आयकर रिटर्न अवश्य पेश हुए थे, मगर उन्हें साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं कराया न रेकर्ड पर लिया गया। इन सभी परिस्थितियों को देखने के बाद अधीनस्थ अधिकरण ने मात्र 1,00,000/- रूपए वार्षिक आय में क्षति पाई है। मेरी विनम्र राय में एक तरफा साक्ष्य में 10,000/- रूपए के मासिक नुकसान पर फेक्ट्री चल रही है, पूनाराम ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। 30,000/- रूपए की आय के सम्बन्ध में भी उसने अपने बयान में यह बताया कि उसके लड़के की 30,000/- रूपए मासिक आय थी। मगर उसके बयानो से यह भी पाया जाता है कि फेक्ट्री अभी भी चल रही है और 10,000/- रूपए का ही मासिक नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्होंने आदमी रख रखे हैं, जिन्हें 10,000/- रूपए मासिक वेतन देना पड़ता है। अधीनस्थ अधिकरण ने 1,00,000/- रूपए की वार्षिक हानि होना स्पष्ट रूप से माना है,

जो सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद ही मानी है, जिसमें मैं किसी प्रकार की साक्ष्य के मूल्यांकन में अवैधता नहीं पाता। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह तर्क कि मृतक की आय 30,000/- रूपए मासिक थी, स्वयं पूनाराम के बयानो से मानने योग्य नहीं है क्योंकि फैक्ट्री अभी भी चल रही है। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह तर्क कि अधीनस्थ अधिकरण ने 70 प्रतिशत राशि मृतक अपने व अपनी पत्नी पर खर्च करना और 30 प्रतिशत राशि अपने माता-पिता को देना जो माना है, यह कानूनन उचित नहीं था। 1/3 राशि ही मृतक अपने ऊपर खर्च कर सकता था और बकाया राशि वह अपने माता-पिता को देता था, माना जाना चाहिए था। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में जो फाईंडिंग दी गई है, उस पर मेरे द्वारा विचार किया गया। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा 70 प्रतिशत राशि वह अपने व अपनी पत्नी पर खर्च करता, इस बात से नहीं नकारा जा सकता और 30 प्रतिशत राशि अपने माता-पिता को देता था, यह भी स्वाभाविक है क्योंकि बच्चा शादीशुदा है और उसका स्वयं का परिवार था, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने दूसरी शादी की, यदि उसकी मृत्यु नहीं होती तो वह अपने व अपने पत्नी पर ही 70 प्रतिशत राशि खर्च करता और माता-पिता पर भी 30 प्रतिशत राशि खर्च करता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण द्वारा सभी सामाजिक पहलुओं पर विचार करने के बाद माता-पिता को 30,000/- रूपए की ही वार्षिक हानि होना पाई है, जो किसी भी परिस्थिति में कम होना नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पूर्व में ही 20 का गुणक दिलाया जाकर 6,00,000/- रूपए की राशि दिलाई जा चुकी है। वास्तव में मृतक की

उम्र को देखते हुए और उसके वारिसान की उम्र को देखते हुए इस प्रकरण में 20 का गुणक दिलाया जाना हर लिहाज से अधिक ही माना जाएगा। इस प्रकार कुल 6,00,000/- रूपए की राशि जो माता-पिता को दिलाई है, किसी प्रकार कम नहीं मानी जा सकती।

योग्य अभिभाषक प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने तर्क समर्थन में 2007 ए सी जे 561 (महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम लालनीपुई) पर आए विनिश्चय पेश किया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 11 में स्पष्ट रूप से माना है कि :

> "It is fairly a settled position in law that while parents are the claimants, the age of the deceased is not relevant and it is the age of the claimants which would determine the multiplier to be adopted. On that score it is clear that the Tribunal's assessment of the quantum of award was incorrect."

चूंकि इस प्रकरण में मृतक की उम्र देखते हुए अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थीगण 20 वर्ष जिन्दा रहते और 30,000/- रूपए वार्षिक उनको नुकसान हुआ, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 6,00,000/- रूपए की नुकसानी दिलाई है। प्रार्थीगण की उम्र क्रमश: 50 वर्ष व 48 वर्ष ही है। धारा 163-ए के शेड्यूल के अनुसार 13 वर्ष से अधिक गुणक नहीं दिलाया जा सकता था। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा विचार किया गया। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा इस प्रकरण में माता-पिता की उम्र को देखते हुए 20 का गुणक दिला दिया गया है, जो किसी प्रकार से इस न्यायालय द्वारा कम नहीं किया जा सकता क्योंकि बीमा कम्पनी द्वारा कोई अपील नहीं की गई। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा 70 प्रतिशत राशि मृतक अपने ऊपर खर्च करता और 30 प्रतिशत राशि माता-पिता को देता, निष्कर्ष दिया गया, इस बारे में जो बहस की गई, उस

पर भी विचार किया गया। चूंकि प्रकरण में माता-पिता वृद्ध हैं और मृतक की मृत्यु हुई तब उसकी पत्नी भी जिन्दा थी। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण ने अपने निर्णय में 70 प्रतिशत राशि वह अपने व अपनी पत्नी पर खर्च करता और 30 प्रतिशत राशि अपने माता-पिता को दे सकता था, जो निर्णय दिया है, इसमें मैं किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाता। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का तर्क कि 50 प्रतिशत राशि कम से कम अपने ऊपर खर्च करना माना जाना चाहिए था, मगर प्रकरण में सभी परिस्थितियों को देखते हुए चूंकि अधीनस्थ अधिकरण ने पहले ही 20 का गुणक दे दिया है, इस प्रकार 6,00,000/- रूपए की निर्भरता की हानि की जो राशि दिलाई गई है, मैं किसी प्रकार से अनुचित नहीं पाता।

योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण की यह भी बहस रही कि इस प्रकरण में प्रार्थीगण को सम्पति का नुकसान हुआ। सम्पति के नुकसान के सम्बन्ध में रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना-पत्र में कपड़ों एवं सम्पति हीरो होण्डा मोटर स्प्लेण्डर मोटर साईकिल, सोने की चैन, घड़ी की कुल नुकसान 65,000/- रूपए की क्लेम में बताई गई थी। अप्रार्थीगण की ओर से इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की। मृतक के पिता द्वारा अवश्य अपने बयानो में बताया कि मृतक के दुर्घटना से एक सोने की चैन, कपड़े, मोटर साईकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर की क्षति हुई, जिसके 65,000/- रूपए खर्च हुए। जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसका अवलोकन करें। प्रदर्श 19, जो मोटर व्हाकिल डिपार्टमेण्ट की एक्सीडेण्ट रिपोर्ट है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मोटर साईकिल नम्बर के ए 25 एफ 1011 के रीयर व्हील, एक्सल टूटे हुए, साइलेन्सर पाईप फटा हुआ था, हेड लाईट टूटी

हुई थी, सीट टूटी हुई थी, फ्यूल टैंक मुडा हुआ था, चैन कवर मुडा हुआ था, व्हील गार्ड बेण्ड हो रखा था, गिअर लीवर व पेडल मुडे हुए थे, स्टेयरिंग हेण्डल भी मुडा हुआ था। हालांकि इसे ठीक कराने में कितनी रकम खर्च हुई, स्पष्ट साक्ष्य नहीं दी गई है और हरजाने के बारे में स्पष्ट साक्ष्य नहीं आई है, मगर वाहन पूर्ण रूप से टूटा पाया गया है, जो प्रदर्श 19 रिपोर्ट से ही स्पष्ट होता है और इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण की ओर से जुबानी साक्ष्य भी आई है। मोटर साइकिल का नुकसान होना स्पष्ट रूप से पाया जाता है। मोटर साइकिल के अलावा मृतक के कपड़े, सोने की चैन आदि का नुकसान होना भी बताया गया है और कुल 65,000/- रूपए की मांग की गई है। मैं इस मद में सभी परिस्थितियों को देखने के बाद 30,000/- रूपए दिलाना न्यायोचित समझता हूं। मृतक की लाश को अस्पताल से फेक्ट्री लाने में करीब 3,000/- रूपए खर्च हुए, बयानो में बताया है, जो दिलाई जाना न्यायोचित है। अन्तिम संस्कार व अस्थि विसर्जन के 35,000/- रूपए की मांग की गई है, जो दिलाने का आधार नहीं है। दर्द, मानसिक वेदना के लिए 50,000/- रूपए की राशि दिलाई गई है, जो न्यायोचित है। दाम्पत्य सुख की क्षति या माता पिता के अपने पुत्र से मिलने वाले मान सम्मान,आदर, सेवा सुश्रा आदि से वंचित रहने के सम्बन्ध में जो भी मांग की गई है, वह उपरोक्त सामान्य क्षति में 50,000/- रूपए में कवर हो जाते हैं।

उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ अधिकरण द्वारा मात्र 6,50,000/- रूपए की राशि ही क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई गई है, मगर सम्पति में हुए नुकसान के सम्बन्ध में 30,000/- की राशि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा साक्ष्य होते हुए भी नहीं दिलाई गई है जो न्यायोचित नहीं था। मृतक की लाश

को अस्पताल से फेक्ट्री लाने में और वाहन में और वाहन में जो खर्चा हुआ उस सम्बन्ध में 3,000/- रूपए की मांग की गई, जो भी नहीं दिलाई गई है। अत: अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड इस प्रकार संशोधित कर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित 6,50,000/- रूपए का अवार्ड बढ़ाकर 6,83,000/- किया जाता है। इस बढ़ी हुई राशि पर तारीख अपील से तावसूली रकम तक 7.5 प्रतिशत ब्याज भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

उपरोक्त प्रकार से, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड उपरोक्त प्रकार से संशाधित किया जाता है।

(न यायाधिपति कृष्णकुमार आचार्य)

<u>जी.एन.शर्मा</u>